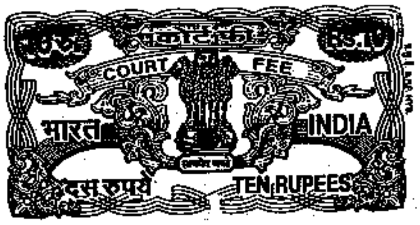

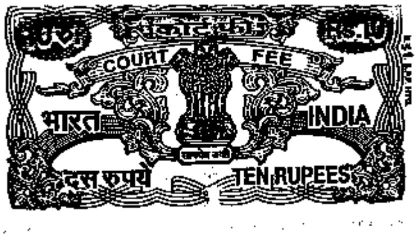

R. 5597
28-7-15

(136)

समक्ष न्यायालय सदस्य राजस्व मंडल (म0प्र0) ग्वालियर।

... निगरानी 2388-I-15

काशीराम पिता सीताराम माली,
निवासी ग्राम चंदनगांव, तहसील व
जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)

--- पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

क्रमांक 6210
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 28-7-15 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

देवकुमारी पिता फूलचंद यादव,
निवासी ग्राम चंदनगांव, तहसील व जिला
छिंदवाड़ा (म0प्र0)

------उत्तरवादी/आवेदक

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक, न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर (म0प्र0), अपील प्रकरण क्रमांक 734/अ-6/2012-13, पक्षकार- काशीराम वि0 देवकुमारी, मौजा चंदनगांव प0ह0 152, रा0नि0मं0 छिंदवाड़ा-2, तहसील व जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) में पारित आदेश दिनांक 17-6-2015 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

पुनरीक्षण के तथ्य

1- यह कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक ने एक द्वितीय अपील माननीय अधीनस्थ न्यायालय/द्वितीय अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परासिया के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 15/अ-6/2009-10, पक्षकार- देवकुमारी विरुद्ध काशीराम, आदेश

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2388–एक / 15 जिला – छिंदवाडा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–4–2016	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण दिनांक 28–7–15 को इस न्यायालय में रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुआ है, जो संहिता के प्रावधानों के अनुसार विधिवत प्रस्तुत होना नहीं माना जा सकता । इसके उपरांत आवेदक को कई सूचनापत्र उपस्थित होने हेतु भेजे गये हैं परंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । वैसे भी अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	